

मध्य प्रदेश शासन  
गृह (पारपत्र) विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक एफ-3(ए)43/2014/ए-1/दो  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 05/01/2019

पुलिस अधीक्षक  
जिला-इन्दौर  
(म0प्र0)

विषय:- 90 दिन का वापसी पृष्ठाकनं/निवासवृद्धि पाक नागरिको श्री मोहित कुमार पुत्र श्री सुभाष कुमार 2. चाहत कुमारी पुत्री श्री सुभाष कुमार 3. सुभाष कुमार पुत्री श्री मनवरलाल 4. श्रीमती सोनिया पत्नी श्री सुभाष कुमार निवासी जिला इंदौर।

संदर्भ:- आपका विशेष शाखा को संबोधित पत्र क्रमांक जिविशा/इन्दौर/पाक 2018(3127/18,) दि.26.12.2018

—00—

पाक नागरिको श्री मोहित कुमार पुत्र श्री सुभाष कुमार 2. चाहत कुमारी पुत्री श्री सुभाष कुमार 3. श्री सुभाष कुमार पुत्री श्री मनवरलाल 4. श्रीमती सोनिया पत्नी श्री सुभाष कुमार को 90 दिन दि.04.04.2019 तक वापसी पृष्ठाकनं स्वीकृत किया जाता है। पारपत्र यथा विधि वितरण हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया पारपत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति शीघ्र भेजे।

2/ उपरोक्तानुसार ही उनका आर.पी.पृष्ठांकित किया जाकर चेक पोस्ट को सूचना दी जाय। अगली अवधि के आवेदन पत्र भेजते समय राज्य शासन के इसी संदर्भ का उल्लेख करें।

- 1 श्री मोहित कुमार पुत्र श्री सुभाष कुमार मूल पारपत्र क्रमांक KH-919109
- 2 चाहत कुमारी पुत्री श्री सुभाष कुमार मूल पारपत्र क्रमांक KH-580744
- 3 श्री सुभाष कुमार पुत्री श्री मनवरलाल मूल पारपत्र क्रमांक AR-4221883
- 4 श्रीमती सोनिया पत्नी श्री सुभाष कुमार मूल पारपत्र क्रमांक KH-905359

संलग्न: उपरोक्तानुसार

नोट:- पाक नागरिको चाहत के दिनांक 26.05.2014 से 07.03.2018 तक एवं सोनिया के दि.26.05.2014 से 25.05.2018 तक एवं सुभाष के दिनांक 26.05.2016 से 25.05.2018 तक एवं मोति के दिनांक 26.09.2016 से 05.09.2018 तक निवासवृद्धि प्रस्ताव अपेक्षित है।

(श्रीदास)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पारपत्र) विभाग  
भोपाल, दिनांक 05/01/2019

क्रमांक एफ-3(ए)43/2014/ए-1/दो  
प्रतिलिपि:-

- 1 सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा गुप्तवार्ता(बी) म.प्र. भोपाल, के पत्र क्रमांक विशा/20/पाक/2018-20(7)दि.04.01.2019 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 2 आवेदक श्री सुभाष कुमार पुत्री श्री मनवरलाल निवासी 118 पार्श्वानार्थ नगर आरटीओर रोड जिला इन्दौर मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. फोल्डर प्रति,

अवर सचिव

म0प्र0शासन गृह (पारपत्र)विभाग